

राजस्थान सरकार
बाल अधिकारिता विभाग

20/198, कावेरी पथ, सेक्टर-2, मानसरोवर, जयपुर
फोन नं.- 0141-2399335, 2399336, ई-मेल - dcr.raj@rajasthan.gov.in

क्रमांक: एफ 20(9) (2)बा.अ.वि./कि न्या अ/किन्याबोर्ड./मनोनयन पार्ट-3/16/37336


जयपुर, दिनांक 27-1-2020

विज्ञप्ति

किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 4 के तहत विधि से संघर्षरत बच्चों के मामलों की जांच, सुनवाई एवं निपटान हेतु निम्न वर्णित जिलों में गठित किशोर न्याय बोर्ड में सदस्य पद हेतु सामाजिक कार्यकर्ताओं से निम्नानुसार आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं:-

क्र. सं.	जिले का नाम	पदों का विवरण
1	अजमेर, डूंगरपुर, झुंझुनू, सवाई माधोपुर, बारां, भरतपुर, बूंदी, श्रीगंगानगर	प्रत्येक बोर्ड में 2 सदस्यों (जिनमें से 1 महिला आवश्यक)
2	सिरोही, धौलपुर, करौली, टोंक, चूरू	प्रत्येक बोर्ड में 1 महिला सदस्य
3	जालोर	प्रत्येक बोर्ड में (01 सामान्य सदस्य पद)


उक्त वर्णित जिलों में सदस्य पद के लिए अपेक्षित अर्हताएं/योग्यताओं एवं आवेदन करने के लिए सामान्य दिशा-निर्देशों की जानकारी एवं आवेदन पत्र विभागीय वेब साइट www.sje.rajasthan.gov.in से प्राप्त किया जा सकता है। आवेदन पत्र को निर्धारित प्रारूप में पूर्ण भरकर एवं आवश्यक संलग्नकों सहित दिनांक 28 फरवरी, 2020 तक संबंधित जिले के जिला बाल संरक्षण इकाई के कार्यालयों में जमा करवाया जा सकता है।


(डॉ. वीना प्रधान)

आयुक्त एवं शासन सचिव एवं
सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय चयन समिति

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं अतिशीघ्र कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सचिव, माननीय मंत्री महोदय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव महोदय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।
3. माननीय अध्यक्ष/सदस्य, राज्य स्तरीय चयन समिति, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।
5. निजी सचिव, आयुक्त एवं शासन सचिव, बाल अधिकारिता विभाग, जयपुर।
6. आयुक्त, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
7. जिला कलक्टर एवं अध्यक्ष, जिला बाल संरक्षण इकाई, जयपुर।
8. अतिरिक्त निदेशक, बाल अधिकारिता विभाग, जयपुर।
9. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग को उक्त विज्ञप्ति विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शनार्थ।
10. उपनिदेशक (प्रचार) सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
11. उपनिदेशक/सहायक निदेशक, लेखाधिकारी, बाल अधिकारिता विभाग, जयपुर।
12. सहायक निदेशक,, जिला बाल संरक्षण इकाई, संबंधित को प्रेषित कर लेख है कि बाल कल्याण समिति एवं किशोर न्याय बोर्ड के लिए आवेदकों से आवेदन 02 प्रतियों में प्राप्त कर, 01 प्रति जिला कार्यालय रिकॉर्ड में संधारित करें। बाल कल्याण समिति/किशोर न्याय बोर्ड हेतु पृथक-पृथक प्राप्त समस्त आवेदनो को निर्धारित प्रारूप में संकलित कर आवेदनों की मूल प्रति मय संलग्नक दिनांक 06 मार्च, 2020 तक विशेष वाहक द्वारा भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।
13. रक्षित पत्रावली।


अतिरिक्त निदेशक